

F.No.A- 42013/58/2013-Estt.
Government of India
Ministry of Food processing Industries
Panchsheel Bhawan August Kranti Marg
New Delhi-110 049.

Dated: 25.07.2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Uploading of Circular / Advertisement in DOPT's website for engagement of consultants – reg.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Advertisement Notice dated 25.07.2017 on the subject mentioned above and to say that a copy of the Circular / Advertisement is enclosed (Hindi / English) for uploading in DOPT website. It is requested that the same may be done urgently.

Encls. As above


(Tual Za Kam)
Under Secretary (Estt)
Tel. No. 011-26406527

To

Shri Manoj Kumar Gupta, Section Officer, DOPT, CS Division, Department of Personnel & Training, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi – 110003.

F.No.A- 42013/58/2013-Estt.
Government of India
Ministry of Food processing Industries
Panchsheel Bhawan August Kranti Marg
New Delhi-110 049.

Dated: 25.07.2017

Ministry of Food Processing Industries would like to engage consultant having adequate knowledge in Food Processing sector to assist MOFPI in following:-


1. Implementation of Kisan Sampada Yojana – Preparation of Guidelines, EOs and application software etc.
2. Developing National Policy on Food Processing and follow-up mechanism.
3. Managing dedicated help desk on implementation of GST in Food Processing Sector.
4. Content vetting of World Food India.

Eligibility: (i) He / She must be not above 65 years of age
(ii) Must have served in Government of India as Joint Secretary level and above
(iii) Having experience in the field of Food Processing Sector / Economic Sector

Remuneration: Consultant will be paid consultation fee equivalent to "last pay drawn minus pension".

(A) Terms and conditions:-

- (i) The period of engagement as consultant would be initially for one year with effect from the date of joining as consultant, which may, at the discretion of the competent authority be either extended or curtailed.
- (ii) Services of consultant can be terminated or dispensed with by the Competent Authority at any time without assigning any reasons and without serving any prior notice thereof.
- (iii) Consultant will be required to maintain decorum / discipline as expected of a Central Government Officer.


TUAL ZA KAM / TUAL ZA KAM
अवर सचिव/Under Secretary
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग
Ministry of Food Processing Industries
पंचसheel भवन, अगस्त क्रांति मार्ग
Panchsheel Bhawan, August Kranti Marg
नई दिल्ली / New Delhi 110049

- (iv) Working hours shall normally be from 9:00 a.m. to 5:30 p.m. during working days including half an hour lunch break in between. However, in exigencies of work, he may be required to sit late and may be called on Saturday/ Sunday and other Gazetted holidays.
- (v) Consultant shall be eligible for 4 days leave during the period of six months. However, unavailed leave cannot be carried forward, in case of extension beyond six months.
- (vi) The Income Tax or any other tax liable to be deducted, as per the prevalent rules will be deducted at source before effecting the payment, for which the Department will issue TDS Certificate/s. Service Tax, as applicable shall be payable extra, at the prevalent rates.
- (vii) No other allowances will be payable. However if the Consultant, travels out of the Headquarters he will be entitled to TA/DA as admissible under Rules.
- (viii) The remuneration would be worked out by applying the following formula:

No. of working days on which office has been attended x Consultancy Fee
No. of working days in the month

2 Interested candidate may send their application within 15 days from the date of advertisement in the prescribed format with documents in support of their qualification / experience to the Under Secretary (Estt.), Room No. 117, Ministry of Food Processing Industries, Panchsheel Bhawan, August Kranti Marg, New Delhi between 09:30 to 05:30 on all working days.


(Tual Za Kam)

Under Secretary (Estt)
Tel. No. 011-26406527

तुआल जा काम. / TUAL ZA KAM
अवर सचिव/Under Secretary
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
Ministry of Food Processing Industries
भारत सरकार / Government of India
अगस्त क्रान्ति मार्ग/ पंचशील भवन
Panchsheel Bhawan, August Kranti Marg
नई दिल्ली / New Delhi 110048

Curriculum Vitae

Application form for engagement of retired Joint Secretary level and above as Consultant in Ministry of Food Processing Industries

1.	Name			
2.	Father's Name			
3.	Date of Birth			
4.	Domicile			
5.	Nationality			
6.	Mailing Address (Tel. No. / Mob. No/email)			
7.	Permanent Address			
8.	Educational Qualification & Experience			
Details of educational qualification possessed -- College Degree onwards				
Course passed	Subject	University/Institute	Year of passing	Division/class
Details of experience possessed				
Organization		Period		Nature of work attended
		From	To	
9.	Post held on the date of retirement from Government Service			
10.	The details of last pay drawn on the date of retirement			
11.	Whether SC/ST/OBC			
12.	Whether agreed to the terms and conditions indicated in the circular to which the proforma is annexed? (Your answer must be yes or No, otherwise application will be liable for rejection)			

(Signature)
Name & Address

Date:
Place:

फा.सं.ए-42013/58/2013-स्था.

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय,
पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग
नई दिल्ली-110049

दिनांक: 25.07.2017

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले सलाहकार को निम्नलिखित के संबंध में खाप्रउमं की सहायता करने हेतु नियुक्त करना चाहता है:-

1. किसान सम्पदा योजना का कार्यान्वयन- दिशानिर्देशों, अभिरूचि की अभिव्यक्तियों तथा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आदि को तैयार करना।
2. खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में राष्ट्रीय नीति तथा अनुवर्ती तंत्र का विकास करना।
3. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जीएसटी को लागू करने के संबंध में एक समर्पित सहायता डेस्क का प्रबंधन करना।
4. वर्ल्ड फूड इंडिया से संबंधित सामग्री का पुनरीक्षण करना।

पात्रता: (i) आयु 65 वर्ष से अधिक न हो।

(ii) भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर पर अथवा उससे ऊपर की सेवा की हो।

(iii) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र/आर्थिक क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो।

परिलब्धि: सलाहकार को "अंतिम आहरित वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर शेष बची राशि" के बराबर सलाहकार शुल्क का भुगतान किया जाएगा।


(क) नियम एवं शर्तें:

- (i) शुरूआत में सलाहकार के रूप में नियोजन की अवधि सलाहकार के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के निर्णय से घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।
- (ii) सलाहकार की सेवाओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए और इस संबंध में बिना कोई नोटिस जारी किए समाप्त किया जा सकता है अथवा उसे हटाया जा सकता है।
- (iii) जैसा कि केंद्र सरकार के अधिकारी से अपेक्षित होता सलाहकार के लिए शिष्टाचार/अनुशासन बनाए रखना अपेक्षित होगा।
- (iv) सामान्य तौर पर कार्य का समय कार्य दिवसों के दौरान प्रातः 9:00 से सायं 5:30 बजे तक का होगा जिसमें आधे घंटा का भोजनावकाश रहेगा। हालांकि, कार्याधिक्य के मामले में देर तक बैठना पड़ सकता है अथवा उसे शनिवार/रविवार या अन्य सरकारी छुट्टियों के दिन भी बुलाया जा सकता है।
- (v) सलाहकार के लिए 6 महीने की अवधि के दौरान 4 दिन की छुट्टी अनुमत्य होगी। हालांकि, 6 महीने से अधिक समय के मामले में न ली गई पिछली छुट्टी को आगे नहीं लिया जा सकेगा।
- (vi) आयकर अथवा घटाए जाने योग्य कोई अन्य कर को विद्यमान नियमों के अनुसार भुगतान से पूर्व स्रोत से काट लिया जाएगा जिसके लिए विभाग टीडीएस प्रमाण-पत्र जारी करेगा। यथा लागू सेवा कर का विद्यमान दरों पर अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
- (vii) कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा। हालांकि, यदि सलाहकार को मुख्यालय से बाहर की यात्रा करनी पड़ती है तो वह नियमों के अंतर्गत यथा अनुमत्य यात्रा भत्ते/मंहगाई भत्ते के लिए पात्र होगा।
- (viii) परिलब्धियों की गणना निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार की जाएगी:-

कार्य दिवसों की संख्या जिनमें कार्यालय में उपस्थिति रही है X सलाहकार शुल्क
महीने में कार्य दिवसों की संख्या

मुख्यालय जा काम. / TUAL ZA KAM
अवर सचिव/Under Secretary
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
Ministry of Food Processing Industries
भारत सरकार / Government of India
अगस्त क्रांति मार्ग / पंचशील भवन
Panchsheel Bhawan, August Kranti Marg
नई दिल्ली / New Delhi 110049

2. इच्छुक अभ्यर्थी, निर्धारित प्रारूप में अपनी योग्यता/अनुभव के समर्थन में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों समेत अपने आवेदन, विज्ञापन की तारीख से 15 दिनों के भीतर सभी कार्य दिवसों में प्रातः 9:00 से सायं 5:30 बजे तक अवर सचिव (स्था.), कमरा सं. 117, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली को भेज सकते हैं।



तुआल जा काम
अवर सचिव (स्था.)
दूरभाष सं.011-26406527

तुआल जा काम. / TUAL ZA KAM
अवर सचिव/Under Secretary
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
Ministry of Food Processing Industries
भारत सरकार / Government of India
अगस्त क्रांति मार्ग/ पंचशील भवन
Panchsheel Bhawan, August Kranti Marg
नई दिल्ली / New Delhi 110049

जीवन वृत्त

सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव अथवा उससे ऊपर स्तर के व्यक्ति का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में सलाहकार के तौर पर नियोजन हेतु किए जाने वाले आवेदन का प्रारूप

1.	नाम	:	
2.	पिता का नाम	:	
3.	जन्म तिथि	:	
4.	निवास स्थान	:	
5.	राष्ट्रीयता	:	
6.	डाक का पता (फोन/मोबाईल सं./ई-मेल)	:	
7.	स्थायी पता	:	
8.	शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव	:	
शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा-कॉलेज डिग्री से ऊपर			
	उत्तीर्ण पाठ्यक्रम	विषय	विश्वविद्यालय/संस्थान
			उत्तीर्ण होने का वर्ष
			श्रेणी/क्लास
प्राप्त अनुभव का ब्यौरा			
	संगठन	अवधि	किए गए कार्य की प्रकृति
		से तक	
9.	सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की तारीख को धारित पद	:	
10.	सेवानिवृत्त होने की तारीख को आहरित अंतिम वेतन का ब्यौरा	:	
11.	अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग	:	
12.	क्या परिपत्र में दर्शाए गए नियमों एवं शर्तों से सहमत हैं जिसके साथ यह प्रोफार्मा संलग्न है? (आपका उत्तर हां अथवा ना में होना होना चाहिए अन्यथा आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है)	:	

(हस्ताक्षर)
नाम एवं पता

दिनांक:

स्थान: